बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

आद–06/विविध (गजट)–10/2015 पटना, दिनांक :–

Writ Petition (civil) No. 13029/1985 M.C. Mehta V/S Union Government of India में दिनांक 24.10.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश द्वारा दिनांक 01.04.2020 से भारत स्टेज–4 (BS-IV) वाहनों के विक्रय एवं निबंधन को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रांसंगिक न्यायादेश के आलोक में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1693 दिनांक 27.02.2020 एवं पत्रांक 1923 दिनांक 18.03.2020 द्वारा शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिये गये है।

माननीय न्यायालय के आदेश के ससमय अनुपालन को देखते हुये सभी जिला परिवहन पदाधिकारी नये वाहनों के निबंधन कार्य (आर.सी.) को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करेगें ।

डीलरों द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये कागजातो के आधार पर निबंधन की कार्रवाई की जाय। डीलरों का यह दायित्व होगा कि निबंधित वाहनों की सभी वांछित कागजात जिला परिवहन कार्यालय में जांच हेतु उपलब्ध करायेगे तथा कागजात में किसी भी त्रुटि के पाये जाने पर निबंधन की प्रक्रिया को रद्द करने की कार्रवाई के साथ–साथ दंड भी अधिरोपित किया जा सकेगा ।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षक दैनिक स्तर पर सभी वाहन डीलरों के भंडार में उपलब्ध भारत स्टेज–4 (BS-IV) वाहनों की स्थिति, उनके स्तर से उक्त वाहनों की बिक्री तथा कार्यालय में ऑनलाईन अपलोड किये गये कागजात की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक–31.03.2020 के पश्चात् कोई भी BS-IV वाहन निबंधन हेतु लंबित नहीं रहे । इसकी नियमित समीक्षा कर प्रासंगिक न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझें।

21/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 06/विविध (गजट)–10/2015 2044 पटना, दिनांक :– 21/03/2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।